श्रीमती सुनीता तारम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागदा, जिला उज्जैन, म.प्र.

// निर्णय //

(आज दिनांक 22/11/23 को घोषित किया गया)

1— प्रकरण में अभियुक्त हरि सिंह S/o उमराव सिंह पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(ए) के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

2— अभियुक्त को उक्त धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने के संबंध में संक्षिप्त विचारण की प्रकिया के अंतर्गत समरी शीट पर अपराध की विशिष्टियां निर्मित कर पढ़कर सुनायी, समझायी गई तो अभियुक्त ने अपराध कारित करना स्वीकार किया।

3— अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्त को धारा 34(ए) आबकारी अधिनियम के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है।

4— अभियुक्त हरि सिंह S/o उमराव सिंह को धारा 34(ए) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 500 /—रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

5— प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत हो।

6— निर्णय की एक सत्यप्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(हस्ताक्षर) 22/11/23

श्रीमती सुनीता तारम
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
नागदा, जिला—उज्जैन (म.प्र.)

श्रीमती सुनीता तारम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नागदा, जिला उज्जैन, म.प्र.

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(हस्ताक्षर) 22/11/23

श्रीमती सुनीता तारम
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
नागदा, जिला—उज्जैन (म.प्र.)

श्रीमती सुनीता तारम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नागदा, जिला उज्जैन, म.प्र.